न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 33/2018

1. सीताराम पुत्र श्री दामोदर महाजन, उम्र लगभग 70 वर्ष, जाति महाजन मूल निवासी ग्राम डांगरवाडा, तहसील आंधी, जिला जयपुर हाल निवासी–85 ए जगदम्बा कॉलोनी जयसिंहपुरा खोर जयपुर।
2. किस्तुरचन्द पुत्र श्री दामोदर महाजन, उम्र लगभग 65 वर्ष, जाति महाजन मूल निवासी ग्राम डांगरवाडा तहसील आंधी जिला जयपुर हाल निवासी–33 ए कृष्णा कॉलोनी, आमेर रोड, जयपुर।

.....अपीलांटस

बनाम

1. मंजू देवी पत्नी बनवारीलाल जाति खटीक निवासी ग्राम आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।
2. बनवारी लाल पुत्र श्री हरिनारायण जाति खटीक निवासी ग्राम आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।
3. गोपाललाल पुत्र श्री फूलचन्द, जाति बलाई, निवासी ग्राम चावण्ड मण्ड तहसील आंधी, जिला जयपुर।
4. श्रीमती पुष्प कँवर पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह राजपूत निवासी–7 उमराव कॉलोनी चावण्ड का मण्ड नाई की थडी तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. तहसीलदार, तहसील आंधी जिला जयपुर।
6. उपतहसीलदार, उपतहसील आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्ट्स

अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश नामान्तकरण संख्या 577 दिनांक 08.07.2015वाके ग्राम रामजीपुरा, पटवार हल्का डांगरवाडा, तहसील, आंधी, जिला जयपुर जिसके द्वारा रेस्पाडेन्ट्स संख्या 1 ता 4 के हित में नामान्तकरण अवैध व विधि विरूद्ध रूप से खोल गये।

उपस्थितः–

1. श्री हनुमानसहाय शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या–एक लगायत चार की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.06.2018

अपीलांट ने यह अपील उपतहसीलदार, आंधी के निर्णय दिनांक 08.07.2015 जिससे नामान्तरकरण संख्या 577 ग्राम रामजीपुरा, तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि खसरा नम्बर 644/1 रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा का नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट नं 1 लगायत 3 के नाम खोले जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 28.05.2018 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–1 ल. 4 की ओर से श्री रामकरण शर्मा, अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। रेस्पाडेन्ट संख्या–4 व 5 की ओर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। पत्रावली वकील पक्षकारान की सहमति पर बहस हेतु नियत की गई एवं पत्रावली पर बहस विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, आंधी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2015 नामान्तकरण संख्या 577 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अपीलांट्स ग्राम रामजीपुरा, तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 644/2 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 में एक वाद बाबत विभाजन उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे सहमति के आधार पर डिक्री किया गया उक्त निर्णय व डिक्री को आधार बनाकर रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 4 ने खसरा संख्या 644/2, 644/3, 644/4 में अपना नामान्तकरण दर्ज करवा लिया जबकि उक्त विभाजन का वाद मूलतः खसरा संख्या 644/1 के बाबत था। रेस्पाडेन्ट्स को विभाजन के आधार पर खसरा संख्या 644/1 में से ही भूमि का नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था लेकिन त्रुटिवश नामान्तकरण संख्या 644/2, 644/3, 644/4 में दर्ज कर दिया जबकि राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 644/2 अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है तथा 644/3 रूपसिंह पुत्र भगतावत बंजारा की खातेदारी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व न तो राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया बल्कि बिना दस्तावेजी साक्ष्य व रिकॉर्ड को देखे बिना फौरी तोर पर नामान्तकरण दर्ज कर दिया। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार आंधी द्वार निर्णित नामान्तकरण संख्या 577 दिनांक 08.07.2015 को निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस रेस्पाडेन्ट संख्या–एक ल. चार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विभाजन पत्र के आधार पर भरा जाकर रेस्पा0 1 लगायत 3 के पक्ष में स्वीकार किया गया है, इसमें कोई गलती अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने यह भी दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस दिन स्वीकार किया है, उस दिन किसी न्यायालय का स्थगन आदि भी विवादित भूमि पर नहीं था। अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष पेश वाद उनवानी सीताराम वगैरह बनाम पुष्प कंवर वगैरह निर्णय दिनांक 27.04.2018 में अपीलांट को खसरा नंबर 644/2/3, ख.न. 644/4/2 में प्रतिबंधित करने एवं पत्थरगढी प्रकरण संख्या 107/17 भी अपीलांट को सुनकर उक्त विवादित भूमि के पत्थगढी के आदेश दिये गये है। अपीलांट द्वारा 96 सी.पी.सी भी नहीं दी गई। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 577 के द्वारा मूल खसरा नंबर 644/1 में ही पूर्व से तरमीम शुदा नक्शे में ही बंटवारा की तरमीम कर रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 4 ने अपना हक प्राप्त किया है जिसमें अपीलांट का

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

कोई अधिकार नहीं है। अपील अपीलांट गलत तथ्यो के आधार पर पेश की गई है। अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सहमति से हुए विभाजन के आधार पर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ल. 3 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत ही नामान्तरकरण तस्दीक किया है। नामान्तरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग्स में किसी के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जा सकते है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय पत्रावली में शामिल प्रमाणित नामान्तरकरण एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 577 ग्राम रामजीपुरा, तहसील जमवारामगढ के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण आपसी सहमति के आधार पर किये गये विभाजन पत्र अनुसार रेस्पा0 संख्या 1 लगायत तीन के पक्ष में भरा गया है, जो विधिसम्मत है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट यह साबित नहीं कर पाये है कि वह अपीलाधीन भूमि पर किस प्रकार से अपना हक व अधिकार रखते है। वैसे भी नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट के हक, हकूक अधिकार किसी प्रकार से है तो भी अधिकारों की धोषणा नियमित वाद में ही की जा सकती है। विवादित भूमि रेस्पा0 संख्या 1 लगायत तीन द्वारा रेस्पा0 संख्या 4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी गई है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के निर्णय से भी स्पष्ट है कि खसरा नंबर 644/2/3, खसरा नंबर 644/2/3 पर रिकॉर्डेड खातेदार रेस्पा0 संख्या 4 है। वकील अपीलांट का कथन है कि तरमीम गलत हुई है जबकि अपीलाधीन नामान्तकरण सहमति से विभाजन के आधार पर तस्दीक हुआ है। वकील अपीलांट ये साबित नहीं कर पाये कि अपीलाधीन नामान्तकरण में क्या त्रुटि है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने का कोई ठोस आधार नहीं है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/6/18

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. कलक्टर-प्रथम,
कलक्ट्रेट, जयपुर

Scanned by CamScanner